# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0- 1965**
**दिनांक-30.10.2026**

## जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई लखनऊ

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस कमिश्नरेट के थाना पीजीआई एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा वाले चोरी के माल को अभ्यासतः व्यापार करने वाले 04 अभियुक्तो को कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

### 01-संक्षिप्त विवरण :-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुन गाबा के निर्देशन में, पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के मार्गदर्शन में, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में अभियोजन एवं थाना पीजीआई पुलिस टीम के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना पीजीआई से सजा कराये जाने हेतु चिन्हित अभियोग में मा0 न्यायालय ADJ महोदय - 20 कमरा नं0 402 चतुर्थ तल के निर्णायक फैसले में दिनांक 28.10.2026 से सम्बन्धित मु0अ0सं0 553/22 धारा-457/380/411/413 भादवि. थाना पीजीआई जनपद लखनऊ के **अभियुक्तगण- 01.रामचन्द्र मौर्य** उर्फ नेता पुत्र स्व0 दयाशंकर मौर्य नि0 कोल्हुआ पाण्डेयपुर थाना सुरियाना जिला भदोही, **02.मोहम्मद जिशान** पुत्र मोहम्मद तोकिर नि0- ग्राम घोसिय थाना औराई जनपद भदोही, **03.रिहान उर्फ मुन्ना** पुत्र बल्ले उर्फ सौतक नि0 ग्राम कुलमनपुर थाना गोपीगंज जिला भदोही, **प्रत्येक को 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2500-2500 रु0** के अर्थदण्ड **व, अभियुक्त 04.सुरेश कुमार उर्फ अजय हरिजन उर्फ ए0जे0 उर्फ जुआरी** पुत्र विजयशंकर उर्फ ह्दय नारायण नि0 पुरे सतभामा मुसहरान बस्ती के पास, सराय मील जिला प्रयागराज **को 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

### 02-सम्बन्धित अभियोग का विवरणः-

- मु0अ0सं0 553/22 धारा-457/380/411/413 भादवि थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

### 03-पैरवीकर्ताः-

1. श्री सुनील कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।
2. आरक्षी रामानंद थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0- 1966**
**दिनांक-30.10.2026**

## जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

- **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के प्रकरण में नामित अभियुक्त तथा प्रकाश में आये अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

### 01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.10.2026 को थाना मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुजासा में आयोजित जन्मदिन समारोह एवं प्रार्थना सभा में वादिनी की पुत्री उम्र करीब 19 वर्ष तथा पुत्रवधू उम्र करीब 25 वर्ष अपने दो बच्चों के साथ सम्मिलित होने गई थीं। दिनांक 09.10.2026 को उनके घर वापस न आने पर परिजनों द्वारा तलाश की गई। बाद में वादिनी की पुत्रवधू अपने दोनों बच्चों के साथ दिनांक 13.10.2026 को वापस आ गई, जबकि पुत्री का अभी तक पता नहीं चल सका।

**उक्त प्रकरण में वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 208/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।**

प्रकरण की विवेचना के दौरान सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान अंकित किए गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन एवं परीक्षण किया गया।

**विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों एवं पूछताछ से अभियुक्त विशाल कुमार गौतम पुत्र स्व0 तुलसी, निवासी ग्राम मुजासा, थाना मलिहाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 29 वर्ष की संलिप्तता के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही विवेचना के दौरान सोनू पुत्र स्व0 रत्न लाल, निवासी ग्राम कहला, थाना रहीमाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 35 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।**

उपलब्ध साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दिनांक 29.10.2026 को समय करीब 13:30 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में लापता युवती की तलाश एवं शेष विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

### 02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण –

**अभियुक्त 1**. विशाल कुमार गौतम पुत्र स्व0तुलसी, निवासी ग्राम मुजासा, थाना मलिहाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 29 वर्ष से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह वादिनी की पुत्री को पूर्व से जानता था तथा उसके घर पर प्रार्थना सभाएं आयोजित होती थीं। दिनांक 08.10.2026 को उसने वादिनी की पुत्री तथा पुत्रवधू को जन्मदिन समारोह में आमंत्रित किया था। पूछताछ में उसने बताया कि वादिनी की पुत्री को **हेमल (रिश्ते में, आरोपी-विशाल का साला)** द्वारा हैदराबाद बुलाए जाने की जानकारी हुई थी। वादिनी की पुत्री एवं पुत्रवधू के जाने के सम्बन्ध में उसने सोनू के साथ हेमल से वादिनी की पुत्रवधू एवं बच्चों को वापस भेजने के लिए बात की थी। वादिनी की पुत्री के वापस न आने के सम्बन्ध में उसे वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है।

**अभियुक्त 2.** सोनू पुत्र स्व0 रत्न लाल, निवासी ग्राम कहला, थाना रहीमाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 35 वर्ष से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वह विशाल कुमार गौतम, अजय (विशाल कुमार गौतम का भाई) एवं वादिनी की पुत्री को जानता था। उसने बताया कि वादिनी की पुत्री का सम्पर्क सनएरा वेलनेस कम्पनी के माध्यम से हेमल से हुआ था। वादिनी की पुत्री के वापस न आने पर उसने हेमल से बात कर एवं बच्चों को वापस भेजने के लिए कहा था। बाद में वादिनी की पुत्रवधू अपने बच्चों के साथ वापस आ गई, जबकि वादिनी की पुत्री के वर्तमान ठिकाने के सम्बन्ध में उसे जानकारी नहीं है।

**03-अनावरित अभियोग का विवरण –**

1. मु0अ0सं0 208/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

**04- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. विशाल कुमार गौतम पुत्र स्व0तुलसी, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम मुजासा, थाना मलिहाबाद, लखनऊ।
2. सोनू पुत्र स्व0 रत्न लाल, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम कहला, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ।

**05-गिरफ्तारी करने वाली टीम -**

1. उ0नि0 राहुल तिवारी, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 अश्वनी कुमार सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-1962**

**दिनांक-30.10.2026**

## *जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज लखनऊ*

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर वाहन चोर /अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **चुराई गयी ईको वैन व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद।**

**01-कार्यवाही विवरण :-**

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक गोसाईगंज श्री डी.के. सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा ईको वैन चोरी करने वाले 04 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चुराई गयी ईको वैन व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद।

**02-संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 20.10.2026 की वादी मुकदमा श्री सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र गुरूदयाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम मोहारीकला थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ के सम्बन्ध में सूचना दी गयी कि वादी के घर के बाहर खड़ी ईको वैन को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 395/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के निर्देशन में 03 पुलिस टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा सम्भावित स्थानों पर लगे करीब 120-150 सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य टैक्निकल, मैनुअल व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से चोरी की ईको वैन व घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद करते हुए 04 अभियुक्तगण क्रमशः 01.अर्जुन अरोड़ा, 02. सुनील गौतम, 03. सतीश, 04. हरिओम को गिरफ्तार को किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**03-पूछताछ विवरण:-**

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि साहब, बरामद डाला हरिओम के भाई सुनील कुमार के नाम पर पंजीकृत है ईको वैन के संबंध में बताया कि दिनांक 19.10.2026 की रात्रि में हम चारों लोग वाहन चोरी करने के इरादे से निकले थे तथा कई स्थानों पर वाहन चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर अगले रात्रि में एक मकान के सामने टीनशेड के नीचे ईको वैन खड़ी दिखाई दी। तब हम चारों लोगो द्वारा उसे चोरी कर लिया गया। हम लोग ईको वैन को किसी दूर-दराज की डेंटिंग-पेंटिंग की दुकान पर ले जाकर उसका रंग-रूप बदलवाने के फिराक में थे जिससे उसकी पहचान न हो सके, लेकिन इससे पहले ही आप लोगो के द्वारा हम लोगों को पकड़ लिया। साहब, हमसे गलती हो गयी, हमें माफ कर दीजिए।

**04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. अर्जुन अरोड़ा पुत्र स्व०कुलदीप अरोड़ा निवासी राजजीपुरम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष।
2. सुनील गौतम पुत्र श्रीराम गौतम निवासी परहेटा नया शिवमंदिर थाना बाजारखाला जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष।
3. सतीश पुत्र मनोहर लाल यादव निवासी आलमनगर मुराऊ टोला थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष।
4. हरिओम पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी गरवाडा पोस्ट बरगदी तहसील करनैलगंज जनपद गोण्डा, वर्तमान पता- नेवाज खेडा मोतीनगर ऐशबाग थाना नाका लखनऊ उम्र करीब 33 वर्ष।

**05-अनावरित अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0 395/26 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 3(5)/317(2) बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ।

**06-गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-**

**1) अभियुक्त अर्जुन अरोड़ा:-**

1. मु0अ0सं0 204/22 धारा 392/411/34 भादवि थाना पीजीआई, लखनऊ
2. मु0अ0सं0 222/22 धारा 379/411 भादवि थाना पीजीआई, लखनऊ
3. मु0अ0सं0 356/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पीजीआई, लखनऊ
4. मु0अ0सं0 109/25 धारा 305(a)/317(2)/317(5)/331(4)/61(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर, लखनऊ
5. मु0अ0सं0 302/19 धारा 392/411 भादवि थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ
6. मु0अ0सं0 181/16 धारा 457/380/411 भादवि थाना तालकटोरा, लखनऊ
7. मु0अ0सं0 31/2020 धारा 392/411/403/413 भादवि थाना तालकटोरा, लखनऊ
8. मु0अ0सं0 75/2020 धारा 2(ख)(1)/3 उ.प्र. गैंगेस्टर अधिनियम थाना तालकटोरा, लखनऊ
9. मु0अ0सं0 81/22 धारा 392/411 भादवि थाना बीबीडी, लखनऊ

**2) अभियुक्त सुनील गौतम:-**

1. मु0अ0सं0 26/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाजारखाला, लखनऊ
2. मु0अ0सं0 30/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना बाजारखाला, लखनऊ
3. मु0अ0सं0 47/19 धारा 380/411 भादवि थाना बाजारखाला, लखनऊ
4. मु0अ0सं0 616/18 धारा 379/411 भादवि थाना पारा, लखनऊ
5. मु0अ0सं0 181/22 धारा 379/411 भादवि थाना नाका हिण्डोला, लखनऊ
6. मु0अ0सं0 444/22 धारा 379 भादवि थाना कृष्णानगर, लखनऊ
7. मु0अ0सं0 470/22 धारा 411/414 भादवि थाना कृष्णानगर, लखनऊ
8. मु0अ0सं0 689/18 धारा 379/411 भादवि थाना सरोजनीनगर, लखनऊ

**3) अभियुक्त सतीश:-**

1. मु0अ0सं0 37/2020 धारा 323/336/504/506 भादवि थाना तालकटोरा, लखनऊ

**07-बरामदगी का विवरण-**

- एक अदद ईको वैन
- एक अदद डाला वाहन (घटना में प्रयुक्त)

**08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- थाना गोसाईगंज पुलिस टीम , पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-1963**
**दिनांक- 30.10.2026**

## *जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर*

- **थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा नाबालिक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने एवं गलत काम करने का आरोपी 01 अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।**

**01-कार्यवाही विवरण:-**

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मण वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं गलत काम करने अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**02-संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 16.09.2026 को वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0- 0393/2026 धारा 137(2) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ बनाम अज्ञात, बावत दिनांक 14.09.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र-16 वर्ष को बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

अभियोग के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर अन्य तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्यों तथा स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से नाबालिग की बरामदगी कर अभियुक्त अमित रावत उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. अमित रावत पुत्र स्व0 मोहन रावत निवासी 31 नारायणपुरी थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष।

**04-अनावरित अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0-393/2026 धारा 137(2)/87/64 बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो अधिनियम थाना कृष्णानगर लखनऊ।

**05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।